...लय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर

...सं0 : 90 / 13

...मांगी लाल पिता उदा धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगू

.... वादी

— बनाम —

1:— सत्यनारायण पिता घीसा लाल जी ब्राहमण आयु बालिग निवासी श्रीनगर तह0 बेगू

2:— कन्हैयालाल पिता घीसा जी ब्राहमण निवासी श्रीनगर आयु 45 वर्ष तह0 बेगू

3:— श्री प्रबन्धक, बड़ोदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0 बेगू

4:— श्रीमान कलेक्टर सा. प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़

5:— श्री तहसीलदार सा. भूमिधारी तहसिल बेगू

.......प्रतिवादी

उपस्थित :: विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 18—08—2023

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि--

मौजा श्रीनगर तहसील बेगूं में सेटलमेन्ट से पुर्व आराजी सं 92/2 169, 375, 346, 428, 429, 537, 99/1 545, 546, 548, 848 कुल किता 12 कुल रक्बा 27 बीगा 16 बिस्वा भूमि स्थित थी तह0 बेगू का नया सेटलमेन्ट जिसमें उक्त नम्बरों के नये नम्बर बनाये जो निम्न अनुसार है आ.रा.जी. सं. 564, 565,762, 763, 769, 999, 1000, 1002, 1232, 1233, 1239, 1240 एवं 1241 कुल किता 13 कुल रकबा 4.9040 हैक्ट बनाये है। उक्त खाता घीसा पिता धुला जी ब्राहमण निवासी श्रीनगर अकिंत था पुराने खाते में से आराजी सं. 546 रकबा 4 बीगा 2 बिसवा भुमि श्रीहरलाल पिता गोपाल जी धाकड़ निवासी श्रीनगर को श्री घीसा जी विक्रय कर दिनांक 08—08—67 को कब्जा दिया उक्त विक्रय व कब्जे के आधार पर पटवार हलका ने ईन्तकाल सं. 117 खोला व सम्वत ... 2023 की जमाबन्दी में खाता अंकन का नोट लगा दिया। परन्तु नवीन सेटलमेन्ट में ... आराजी सं. 546 के नवीन नम्बर 762 रकबा 0.5170 हैक्टर व आराजी सं. 763 रकबा 0.437... हैक्ट. किता 2 रकबा 0ण्9540 हैक्ट. बनाये व पुर्व खातेदार के नाम अकिंत ... हरलाल व उसके वारिसान के नाम अकिंत होना चाहिए था। हिरा लाल का स्वर्गवास हो गया जिसके उतराधिकारी वादि ... एवं घीसा लाल का भी स्वर्गवास हो गया जिनके उतराधिकारी मोजुदा खाते में प्रतिवादीगण 1 व 2 है वादी श्रीहर लाल पोता है वादी का पिता उदा श्री हरलाल का लड़का था श्री उदा के फोत होने से एक मात्र वारिस है। जिसपर वादी का कब्जा एवं उपयोग में है

यह कि ग्राम श्रीनगर की खाता सं. 304 में वर्णित भुमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम होने से ... की आराजीयात का 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ने बड़ोदा राजस्थान ग्रामिण बैंक ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:09 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]राजीयात से साथ मुझ वादी की भुमि की भुमि रहन कर दी जो गलत है बहक वादी [illegible] प्रतिवादी सं. 1 से 3 निम्न डिक्री फरमाई जावे।
[illegible] कि ग्राम श्रीनगर तह0 बेगू में स्थित पुराने आराजी नं. 546 रकबा 4 बीगा 2 बिसवा [illegible]सके नये नं. आराजी सं. 762 रकबा 0.5170 हैक्ट. आराजी सं. 763 रकबा 0०4370 हैक्ट. [illegible]ता 2 रकबा 0.9540 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खाते में कमी रकबा कर मुझ वादी के खाते ईन्द्राज करने की घोषणात्मक डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाये
(ख) कि ग्राम श्रीनगर तह0 बेगू में स्थित आराजी सं. 762 व 763 को ऋण मुक्त कि घोषणात्मक डिक्री खिलाफ प्रतिवादी सं. 3 सादिर फरमाई जाये
(ग) खर्चा मुकदमा व मेहनताना वकिल प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से मुझ वादी को दिलाया जाये
(घ) कि और भी कोई अनुतोष दाराने कार्यवाही प्राप्त वादी को दिलाई जाये।
दावा रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं. 3 के विरूध एक तरफा कार्यवाही कि गई व एवं प्रतिवादी सं. 4 5 की और से जवाब दावा प्राप्त नही होने पर जवाब दावा पेश करने का अवसर बन्द किया गया प्रतिवादी 1 व 2 की और से वकिल श्री कैलासचन्द्र मंत्री द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब प्रस्तूत किया गया जो निम्न अनुसार है। यह कि प्रतिवादीगण के पिता घीसा जी ने किसी भी हरलाल को कोई भुमि विक्रय नहीं कि है न ही कब्जा सुपुर्द किया है यदि कोई गलत कार्यवाही या अवेध दस्तावेद के आधार पर हुई भी है तो उनसे प्रतिवादीगण बाध्य नहीं है। वादी ने अपने आप को हरलाल जी का पोता बता गलत तथ्यों पर आधारित यह वाद प्रस्तुत किया है तो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने हक स्वामित्व एवं अपने नाम दर्ज आराजीयात को बैंक रहन रखने हेतु पुर्ण रूप से अधिकृत है।
यह की वादी ने जब कोई भूमि खरीद ही नहीं कि एवं उसके अभीवचन में जो हरलाल जी का नाम आया है तब तक उसके पुरे सजरे का उल्लेख नहीं होता व उसके सभी वास्तविक उतराधिकारीयों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

विशेष कथन

यह की वादी ने यह वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर एवं हरलाल जी के सभी वारिसान उनकी पुत्रियों मगदुबाई, हीराबाई, नंदूबाई एवं पुत्र उदा के सभी वारिसान को रिकॉर्ड पर लाये बिना प्रस्तुत किया है जो पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर निरस्त होने योग्य है।
यह की वादी का ग्राम श्रीनगर में खाता मांगीलाल पिता मुतबन्ना घीसा के नाम है एवं यहॉ वादी मांगीलाल पिता उदा बनकर दावा प्रस्तुत कर रहा है जिससे वादी की विधिक प्रास्थिति भी स्पष्ट नहीं हाने के वाद वादी निरस्त होने योग्य है।
यह कि वाद वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी [illegible]धिपत्य की होकर प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 के कब्जे काश्त में है, जिसमें वादी का कोई [illegible] नहीं होने से वाद वादी निरस्त हाने योग्य है।
प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात [illegible] कायम की गई जो निम्न प्रकार से है
आया कि ग्राम श्रीनगर तह0 बेगू में स्थित पुराने आराजी नं. 546 रकबा 4 बीगा 2 बिसवा जिसके नये नं. आराजी सं. 762 रकबा 0.5170 हैक्ट. आराजी सं. 763 रकबा 0.4370 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.9540 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खाते में कमी रकबा कर मुझ वादी के खाते ईन्द्राज करने की घोषणा करा पाने के अधिकारी है साथ ही ऋण मुक्त की घोषणा प्रतिवादी सं. 3 के विरूध करा पाने के वादी अधिकारी है।
आया कि वाद मित्य तथ्यों के आधार पर एवं हरलाल जी के सभी वारिसान उनकी पुत्रियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested

...ने के बाद वकिल वादी ने मांगीलाल व रामेश्वरलाल साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत कर ...वा मांगीलाल के बवान कलम बद्ध कर प्रदर्श 1 नकल नामातंरण सं. 117 प्रदर्श 2 ... मिलान खसरा प्रदर्श 3 नकल नक्सा ट्रेस प्रदर्श 4, 5, 6 प्रदर्श 7 नकल नामानंतरण सं. ...3 प्रदर्श 8 व 9 प्रदर्श 10 व 11 मिलान खसरा दस्तावेज प्रदर्श कराये है।

...करण में दस्तावेज वकिल वादी की एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जाने पर प्रत्रावली में कियम तनकी अनुसार निर्णय तनकी वार निम्न प्रकार से किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें नकल जमाबन्दी मौजा श्रीनगर स. 2067–70 प्रस्तुत की है वाद वर्णित आराजी सं. 762 रकबा 0.5170 हैक्ट. आराजी सं. 753 रकबा 0.4370 है0 भूमि के खातेदार श्री सत्यनारायण, कन्हैयालाल पिता घीसा ब्राहमण है। तथा सत्यनारायण का हिस्सा रहन बड़ोदा राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा ठुकराई के नाम अंकित है नकल जमाबंदी मौजा श्रीनगर सं. 2025 से 2028 तक जो कि प्रदर्श सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी जो की गत आराजी थी के आराजी सं. 546 होकर रकबा 4 बीघा 2 बिसवा भूमि के खातेदार श्री घीसा पिता धुला ब्राह्मण सा देह है, यह खातेदार प्रकरण में प्रतिवादी स. 1 व 2 के पिता है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण सं. 117 जो कि प्रदर्श–2 है का अवलोकन करने पर पाया कि हक नामान्तरण खातेदार घीसा पिता धुला द्वारा अपने खाते की आराजी में से आराजी सं. 546 रकबा 4 बिघा 2 बिसवा आराजी का विक्रय 2 आने के स्टाम्प पर 45 आना कलदार में हरलाल पिता गोपाल घाकड़ को विक्रय कि गई उक्त विक्रय का अपंजीकृत खत भी वादी द्वारा वक्त बहस हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है जो 2 आना स्टाम्प पर होकर ठिकाना बेगू की छाप लगी हुई है उक्त नामान्तरण 117 जो कि दिनांक 08–08–67 को खोला जाकर ग्राम सरपंच ग्राम पचांयत ठुकरई द्वारा दिनांक 24–12–70 को स्वीकृत किया है जो कि सरपंच द्वारा अपने निर्णय नोट में अंकित किया है कि विक्रय नामा रजिस्ट्रीशुदा नहीं है लेकिन पुराना होने से इसी किमत पर बेचा जाने से नामान्तरण स्वीकार किया जाता है नामान्तरण सं. 117 पर भू.अभि. नि. (ILR) द्वारा दिनांक 21–10–70 को यह नोट अंकित किया है कि जमाबन्दी मिलान किया जो ठिक है जमाबन्दी में जो भूमि का विक्रय हुआ है जो वेल्युऐशन से 1000 रू. का होना चाहिए रजिस्ट्री होने बाद ही मान्य हो सकता है ईन्तकाल खारिज होने योग्य है इस (ILR) के नोट के कारण वादीगण के पुर्वज का वक्त खरिद से ही आराजी पर कब्जा काश्त होने के बावजुद भी इस नामान्तरण का अमल दरामद राजस्व. रिकॉर्ड में नहीं हो सका तथा वाद ग्रस्त भूमि विक्रेता के वारिसान के नाम पर अभी भी खाते में चल रही है जबकि उक्त नामान्तरण अधिनस्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये जाने पर भी नामान्तरण अमल क्रेता के नाम पर राजस्व. रिकॉर्ड में [illegible] किया ज[illegible] कार्मिक कि लापरवाही है यदि विक्रय से गिरदावर सहमत नहीं थे तो इस नामान्तरण को अपने अधिकारीयों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए निर्णित करवाते किन्तु नोट अंकित पर उक्त विक्रय का अमल रोका जाना न्याय सगंत नहीं होता है प्रदर्श–3 भू. प्रबंध [illegible] कि नकल है जिसमें गत आराजी सं. 546 के नवीन आराजी नं. 762, 763 बने है पत्रावली में प्रस्तुत मोजा श्रीनगर सीट नं. 3 प्रदर्श–4 है प्रदर्श–5 नक्शा किश्तवार मोजा श्रीनगर सम्वत् 1984 सन् 1927–28 है प्रदर्श से नक्शा किश्तवार है प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी संमवत् 2067–2070 है प्रदर्श–8 नकल नामान्तरण सं. 118 की सुपाठ्य नकल है प्रदर्श–9 नकल जमाबन्दी मोजा श्रीनगर संम्वत् 2025 से 2028 की है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 में क्रयशुदा भूमि का अंकन करते हुए गत आराजी सं. 202 रकबा 4 बीघा 2 बिसवा आराजी सं. 410/1 रकबा 69 बिसवा आराजी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:09 IST
Reason: SelfAttested

खारिज करने का अकंन किया है किन्तु सरपंच ग्राम पचांयत ठुकराई द्वारा यह [नामान्]तरण सं. 118 जो इस निर्णय के साथ स्वीकृत किया है कि वेल्युऐशन गिरी हुई है पुराना [...]से विक्रेता इसी किमत पर बेचा जाने के कारण नामान्तरण स्वीकार किया जाता है इस [ना]मान्तरण सं. 118 का अंकन प्रदर्श–9 जमाबन्दी में किया गया है जबकि नामान्तरण सं. 117 का अमल नहीं किया जाना तत्कालीन राजस्व कर्मचारीयों/अधिकारीयों की लापरवाही को दर्शाती है जो न्यायोचित नहीं है पत्रावली में वादी के बयान कलम बद्ध कराये गये वादी द्वारा सभी दस्तावेज को प्रदर्श किया गया है प्रतिवादीगण विरूध मामला एक तरफा होने से वादी से वक्त बयान जिरह नील रही है पत्रावली में सभी दस्तावेजो के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी पक्ष में वादग्रस्त आराजी की घोषणा करा पाने का वादी को अधिकारी पाया जाता है। तनकी नं. 1 बहक वादी विरूध्द प्रतिवादी निर्णित कि ताजी है।

2– तनकी नं. 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर दावा पत्र में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार कर विशेष कथन में वाद पत्र को मिथ्य बताते हुए एव हरलाल के सभी वारिसान उनकी पुत्रियॉ मगदुबाई, हीराबाई, नन्दुबाई व पुत्र उदा के सभी वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना वाद पत्र प्रस्तुत करने का कथन कर वाद पत्र में पक्षकारो के असंयोजन के आधार पर वाद निरस्त करने का निवेदन किया है व भूमि को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कब्जे काश्त में होने का कथन किया है किन्तु प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता के न्यायलय में उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये प्रतिवादीगण द्वारा अनुपस्थित रहने से अपने जवाब की पुष्टी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं कराई है ना ही कोई साक्ष्य सबुत पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये है इस प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब सिद्ध नहीं होता है वाद ग्रस्त भूमि का खाता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम होकर वाद में वादी साक्ष्य अनुसार भूमि पर कब्जा वादी का ही वक्त खरीद से होना बताया है इस प्रकार यह तनकी नं.–2 को प्रतिवादीगण सिद्ध कराने में असफल रहें है। तनकि नं.–2 विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी निर्णित कि जाती है।

अनुतोष :–

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकी नं. 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के निर्णित कि गई है पत्रावली में वाद ग्रस्त आराजी सं. 762 रकबा 0.5170 है0 एवं आराजी सं. 763 रकबा 0.4370 है0 भूमि जिसके गत आराजी सं. 546 होकर रकबा 4 बिघा 2 बिसवा होकर उक्त आराजीयात का 2 आने के स्टाम्प पर 45 आना कलदार में खरीददार हरलाल पिता गोपाल धाकड़ को विक्रेता घीसा पिता धुला के द्वारा विक्रय कि गई है जिसके लिए आराजी सं. विक्रय नामान्तरण सं. 117 खोला जाकर उक्त नामान्तरण को अधिनस्त न्यायालय सरपंच ग्राम पचांयत ठुकराई द्वारा स्वीकृत किया है लेकिन नामान्तरण पर गिरदावार द्वारा कमी राशि बिकाव होने से नामान्तरण खारीज की जाने की सिफारिस की गई है इस पत्रावली में नकल नामान्तरण सं. 118 का अवलोकन किया जाने पर पाया की हरलाल पिता गोपाल धाकड़ की भूमि में से आराजी सं. 202 रकबा 4 बिघा 2 बिसवा का विक्रय घीसालाल पिता धुला ब्राह्मण के पक्ष में किया गया है उक्त नामान्तरण सं. 118 को भी कमी वेल्युवेशन के कारण सरपंच ग्राम पचांयत ठुकराई ने नामान्तरण स्वीकृत किया है। इस नामान्तरण पर भी गिरदावर द्वारा खारीज किये जाने का नोट किया है किन्तु इस नामान्तरण का अमल दरामद नकल जमाबन्दी प्रदर्श–9 में हुआ है। विडम्बना है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा एक नामान्तरण सं. 118 का [illegible] किया जा रहा है किन्तु नामान्तरण सं. 117 का अमल दरामद नहीं किया है जो न्यायसगंत [illegible] होता है वाद ग्रस्त आराजीयात पर वक्त खरीद से ही वादी का कब्जा काश्त [illegible] है वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अन्तरगत धारा 88 आर. टी. [illegible] कार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा श्रीनगर की आराजी सं. 762 रकबा 0.5170 है0 एवं आराजी सं. 763 रकबा 0.4370 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 सत्यनारायण पिता घीसा लाल बाह्मण प्रतिवादी सं. 2 कन्हैयालाल पिता घीसा लाल बाह्मण के खाते से कम की जाकर वादी मांगीलाल पिता उदा धाकड़ निवासी श्रीनगर के खाते में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की शेष आराजी से प्रतिवादी सं. 3 प्रबंधक बडोदा राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा ठुकराई बैंक ऋण वसुली की कार्यवाही नियमानुसार करें।

निर्णय आज दिनांक 18–08–2023 को लिखा जाकर कर सरे ईजलास [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested